

ऑन लाईन फार्म पोण्ड (खेत तलाई) कार्यक्रम का अनुदान प्रार्थना पत्र वर्ष

सेवामें

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
जिला

- | | | |
|--|-------------------|-----------------|
| 1. कृषक का नाम | पिता का नाम | |
| 2. गावंपंचायत समिति..... | तहसील | जिला |
| 3. मोबाइल नम्बर | | |
| 4. जाति..... | | |
| 5. कृषक कक्षा..... | | |
| 6. कृषक जमीन विवरण (हैक्टर में)..... | | |
| (अ) सिंचाई (हैक्टर में)..... | | |
| (ब) असिंचित (हैक्टर में)..... | | |
| 7. खसरा नम्बर जिसमें फार्म पौण्ड का प्रस्ताव..... | | |
| 8. सिंचाई के स्त्रोत..... | | |
| 9. फार्म पौण्ड का आकार (लम्बाईXचौड़ाईX गहराई).....X.....X..... | | |
| 10. क्षेत्र सीमा का नजरिया नक्शा (टयूबवेल और फार्मपौण्ड का अच्छा प्रदर्शन) | | |
| आकार | नाम | पिता/पति का नाम |
| उत्तर | | |
| दक्षिण | | |
| पूर्व | | |
| पश्चिम | | |
| 11. बैक का नाम | | |
| 12. शाखा का नाम | | |
| 13. आई.एफ.एस.सी. कोड..... | | |
| 14. खाता संख्या..... | | |

घोषणा

मैं शपथपूर्वक घाषणा करता/करती हूं कि पूर्व मे मेरे द्वारा फार्म पौण्ड पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है तथा प्राप्त अनुदान का दुरुप्योग नहीं करूंगा/करूंगी। उपरोक्त शर्तों की अवहेलना करने पर विभाग पूरी राशि वसुल करने का तथा वैद्यानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

गवाह के हस्ताक्षर एवं नाम मय पूर्ण पता

कृषक का नाम व हस्ताक्षर
दूरभाष सं.

राजस्व विभाग का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री पुत्र/पत्नि श्री जाति निवासी के अपने स्वयं के हिस्से की स्वामित्व वाली भूमि के खसरा संख्या रकबा (कृषक का हिस्सा) हैक्टर में वर्तमान में फार्म पौण्ड बना हुआ नहीं हैं तथा रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी सरकारी/सार्वजनिक तालाब के भराव क्षेत्र में नहीं हैं। उक्त खसरे के फार्म पौण्ड बनायें जाने वाल जगह पर संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्थाही से निशान अंकित कर दिया हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर पटवारी(मय नाम एवं सील)
पटवार हल्का

कृषि विभाग का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री पुत्र/पत्नि श्री जाति निवासी के अपने स्वयं के हिस्से की स्वामित्व वाली भूमि के खसरा संख्या रकबा (कृषक का हिस्सा) हैक्टर में वर्तमान में फार्म पौण्ड बना हुआ नहीं हैं। फार्म पौण्ड बनने से पूर्व प्रथम फोटों के अनुसार मैंने खेत का निरीक्षण कर लिया है तथा उक्त खरे में फार्म पौण्ड बनाने के लिए जमाबन्दी अनुसार प्रर्याप्त भूमि मौजूद है जो फार्म पौण्ड के लिए फिजिबल हैं। आवेदन पत्र के सभी कॉलम जॉच लिए हैं एवं सुरक्षित भरे हुये हैं। कृषक का बैंक खाता सं बैंक एवं शाखा में हैं। विवरण व दस्तावेजों में कमी एवं उक्त की पूर्ति न होने पर यदि पत्रावली निरस्त कर दी जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी हमारी होगी।

हस्ताक्षर कृषि पर्यवेक्षक(मय दिनांक व सील)
मुख्यालय

प्रमाणिकर्ता
हस्ताक्षर सहायक कृषि अधिकारी(मय दिनांक व सील)
क्षेत्र

शपथ पत्र का नमूना

(10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदन—पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक हैं।)

श्री पुत्र/पुत्री श्री ग्राम तहसील
जिला का निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे पास सिंचित भूमि हैक्टर, असिचित भूमि हैक्टर एवं कुल भूमि हैक्टर हैं। इसके अतिरिक्त मेरे नाम से कोई अन्य भूमि नहीं हैं। मैंने खसरा नं. में किसी भी विभाग/योजना से पूर्व में फार्म पौण्ड पर अनुदान प्राप्त नहीं किया। पौण्ड का निर्माण करवाऊंगा। मेरे बैंक खाता विवरण नियमानुसार हैं जो सही है एवं चालू हालत में हैं। यदि बैंक खाता विवरण गलत पाया जाता है अथवा बन्द हो तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। बैंक का नाम शाखा का नाम बचत खाता संख्या
उपरोक्त शर्तों की अवहेलना करने व गलत जानकारी देने पर विभाग मुझसे अनुदान की सम्पूर्ण राशि वसूल करने तथा अन्य वैद्यानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

गवाह के हस्ताक्षर
नाम व पता
दिनांक

नोटरी द्वारा प्रमाणित

कृषक के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी
नाम
दिनांक

सहमति—पत्र का नमूना (सहखातेदार कृषक को 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति—पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)

हम/मैं(नाम / पिता) जाति निवासी तहसील जिला सशपथ बयान करते हैं—

1. कि खसरा नं. जिसका कुल रकबा हैक्टर है यह हमारे शामिलाती हैं। इस खसरे में हमारे सहखातेदार श्री पुत्र/पुत्री निवासी कृषि विभाग द्वारा अनुदानित फार्म पौण्ड का निर्माण करवाना चाहता है। यदि हमारे उक्त सहखातेदार का फार्म पौण्ड बनवाने हेतु आवेदन पत्र स्वीकृत कर लिया जाता है और सहखातेदार द्वारा उसमें फार्म पौण्ड खुदवाया जाता है तो हम सहखातेदारों को कोई आपत्ति नहीं हैं। इसमें हमारी पूर्ण सहमति है। इसमें बनने वाला फार्म पौण्ड इसी के मालिकाना हक में रहेगा तथा ये ही अनुदान राशि प्राप्त करने का हकदार रहेगा।
2. कि उपरोक्त शपथ/सहमति पत्र बिना किसी दबाव के पुर्णतः होश हवास में लिख दिया है जो हमारी जानकारी में सही व दुरुस्त है। ईश्वर हमारा साक्षी है।

हस्ताक्षर गवाह (मय दिनांक)
नाम व पता.....

नोटरी द्वारा प्रमाणित

सहमतिकर्ताओं का नाम

हस्ताक्षर

राजस्व विभाग का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष में कृषक श्री
 पुत्र/पत्नि श्री..... जाति निवासी
 ने अपने स्वयं के हिस्सें की स्वामित्व वाली भूमि के खसरा संख्या रकबा
 हैक्टर में नवीन फार्म पौण्ड (खेत तलाई) का निर्माण कर लिया है।

दिनांक

हस्ताक्षर पटवारी (मय सील)
 पटवार हल्का

ग्राम पंचायत का प्रमाण —पत्र

कार्यालय ग्राम पंचायत पं.स.

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री
 पुत्र/पत्नि श्री जाति निवासी
 के अपने स्वयं के हिस्सें की स्वामित्व वाली भूमि के खसरा संख्या में
 निर्मित फार्म पौण्ड (खेत तलाई) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत पूर्व एवं
 वर्तमान में नहीं खुदवाया है।

हस्ताक्षर (मय सील)
 दिनांक

हस्ताक्षर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव (मय सील)
 दिनांक

कृषि विभाग का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री पुत्र
 श्री..... जाति निवासी ने खसरा संख्या
 में मापदण्डानुसार सड़क/आम रास्ते के किनारे से 50 फीट से दूर नवीन फार्म पौण्ड का निर्माण
 कर लिया है। तथा कृषक ने फार्म पौण्ड के पास लोहे के बोर्ड पर—

- (अ) कृषि विभाग अनुदान सहायता से निर्मित फार्म पौण्ड
- (ब) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/ योजना वर्ष
- (स) लाभान्वित कृषक श्री पुत्रश्री ग्राम पं.स.
- (द) स्वीकृत अनुदान राशि रूपये।

अंकित कर लिया है तथा उक्त विवरण के साथ कृषक के दोनों फोटो मोका निरीक्षण एवं सत्यापन रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिये हैं।

हस्ताक्षर कृषि पर्यवेक्षक (मय सील)
 मुख्यालय

हस्ताक्षर सहायक कृषि
 क्षेत्र

मौका निरीक्षण एवं सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्र/पत्नि श्री..... जाति.....
जाति श्रेणी कृषक श्रेणी..... ग्राम कृ.पर्य.क्षेत्र..... स.कृ.अ.क्षेत्र.....
पं0स0.....जिला के खेत पर निम्न विवरणानुसार हमारे द्वारा फार्म पौण्ड
का निरीक्षण किया गया ।

1. कृषक द्वारा फार्म पौण्ड निर्माण करने का वित्तिय वर्ष
2. फार्म पौण्ड का निर्माण अपने स्वयं के हिस्से की स्वामित्व वाली भूमि के खं. नं. रकबा..... हैक्टर में
सड़क/आम रास्ते के किनारे से 50 फीट की देरी पर किया गया ।
3. फार्म पौण्ड की ईकाई लागत..... रूपयें हैं ।(कमेटी के द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार)
4. कृषक का बैक खाते का विवरण आवेदन पत्र के अनुसार हमने जॉच लिया है । वह आवेदक का ही है ।

सत्यापन की दिनांक	सत्यापनकर्ताओं के नाम	पदनाम व मुख्यालय	फार्म पौण्ड का आकार मीटर में			कुल घन मीटर
			लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	

कृषक के हस्ताक्षर
दिनांक

ह०कृषि पर्य.मय सील
दिनांक

ह० स.कृ.अ. मय सील
दिनांक

ह० कृषि अधि./नोडल प्रभारी मय सील
दिनांक

—सहायक निदेशक कृषि विस्तार की अभिशंषा—

कृषक से प्राप्त आवेदन—पत्र उक्त मौका निरीक्षण व सत्यापन रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों की गहन जॉच करने
तथा इस कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक..... दिनांक के उपरान्त उक्त कृषक को
फार्म पौण्ड के घन मीटर क्षेत्रफल के लिए रूपये अनुदान स्वीकृति करने की
अभिशंषा की जाती है ।

कृषि अधिकारी(oic)मय सील
दिनांक

स.नि.कृ.(गि)
दिनांक

—अनुदान स्वीकृति—

कृषक श्री पुत्र/पत्नि श्री..... निवासी को मौका सत्यापन रिपोर्ट एवं सहायक
निदेशक कृषि (विस्तार) की अभिशंषा के आधार पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना / योजना के
अन्तर्गत फार्म पौण्ड (खेत तलाई) पर अनुदान की राशि रूपये भुगतान करने की अनुमति प्रदान
की जाती है ।

कृषक अधिकारी
(मय सील व दिनांक)

योजना प्रभार
(मय सील व दिनांक)

स.नि.निदेशक (विस्तार)
(मय सील व दिनांक)